FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0244 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/10/2024 13:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	193
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/06/2011 **Date To (दिनांक तक):** 27/12/2013

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/10/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/10/2024 13:12:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** GAM PANCHAYAT BALESAR SATA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHUPENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** AIDAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	AMARAT NAGAR, BALESAR SATA, BALESAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	AMARAT NAGAR, BALESAR SATA, BALESAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RENVATRAM		पिता:CHUNNILAL	1. BALESAR SATTA,BALESAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	ANOP SINGH		पिता:AIEDAN SINGH	1. BALESAR,BALESAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
3	CHAIN SINGH		पिता:VISAN SINGH	1. BALESAR,BALESAR,BALESAR, JODHPUR
4	DILIP SINGH		पिता:DURG SINGH	1. BALESAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
5	NARAYAN SINGH		पिता:JETHU SINGH	1. 125,JDSB BJS COLONY,

	RATHOR		RATHOR	BALESAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
6	NARPAT SINGH RAJPUROHIT AND BENEFICIARY		पिता:MANAK SINGH RAJPUROHIT	1. BICHLAVAS GANV THOB,OSIYAN,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		
				1,89,54,880.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,89,54,880.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह पूत्र श्री आईदानसिंह जाति राजपूत उम्र 25 वर्ष पेशा विद्यार्थी निवासी अमृतनगर बालेसर सत्ता तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 27.12.2013 को इस आशय से दी कि ग्राम पंचायत बालेसर के सरपंच श्री रेंवतराम एवं ग्रामसेवक श्री नरपतसिंह ने अपने पद का दुरूपयोग कर ग्राम बालेसर सत्ता की गोचर भूमि में वर्ष 2009 से 2013 तक नियम विरूद्ध 143 पट्टे जारी कर दिये गये। इन पट्टों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया तो पट्टा धारकों से लाखों रूपये लेकर मात्र 200/- रूपये में ही नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये है। इन नियम विरूद्ध जारी पट्टो में ग्राम बालेसर सता के वार्ड पंचान द्वारा पट्टे जारी करने संबंधित कोई प्रस्ताव पारित नहीं लिया गया। सरपंच श्री रेवतराम, वार्डपंच बालाराम, वार्डपंच चैनसिंह वगैराह से मिलीभगत कर नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये। जो सभी पट्टे गोचर भूमि और रेवेन्यू जमीन, गैर मूमकिन भाखर व सड़क सीमा में खुली जमीन पर जारी किये गये है। उक्त नियम विरूद्ध जारी पट्टो पर चुनाव के समय एवं वर्तमान में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जबकि सरपंच ने पुराने भवन बने हुए बताकर पट्टे जारी किये थे। इस प्रकार सरपंच श्री रेवतराम ने ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता को लाखों रूपये की हानि पहुंचाई है। ग्राम पंचायत बालेसर सरपंच के पास मेरे प्लॉट का पट्टा लेने गया तब सरपंच ने पट्टा देने की एवज में 60-70 हजार रूपये मांगे और बोले आपको पट्टा मिल जायेगा तभी मैंने नियम का हवाला देते हुए 200/- रू. की फीस का ज़िक किया, तभी सरपंच ने मना कर दिया और बोला इतने में काम नहीं बनता तभी मैंने ठान लिया कि सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा। इसी क्रम में मैने सूचना के अधिकार के तहत पट्टें की कॉपी, पट्टे का प्रस्ताव रजिस्टर इन्द्राज आदि पट्टे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लिपि मांगी उसी दिन से सरपंच के कुछ खास लोगो के द्वारा मुझे धमकिया मिलने लगी और बोला यह पैसे की पेशकस की जाने लगी। जब मैं नहीं माना तो और धमकिया मिलने लगी और बोला यह सूचना देने से इन्कार कर दो। तभी मैंने पट्टे की कॉपी लेकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर के कार्यालय में उचित कार्यवाही की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया। मैने सूचना के अधिकार के तहत पट्टो की प्रति प्राप्त किये। उसके अनुसार पट्टा संख्या 206 दिनांक 20.10.2010 श्रीमति रमकूबाई पत्नी श्री गेनमल, पट्टा संख्या 207 दिनांक 20.10.2010 श्रीमती सुवा पत्नी श्री लाचंद, पट्टा संख्या 208 दिनांक 20.10.2010 श्री लाभ चंद पुत्र श्री चुन्नीलाल, पट्टा संख्या 213 दिनांक 20.10.2010 श्रीमती शकुंतला पत्नी लाभूराम, पट्टा संख्या 214 दिनांक 20.10.2010 श्री गोपालराम माली पुत्र श्री लुणाराम, पट्टा संख्या 215 दिनांक 20.10.2010 श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री राजूराम, पट्टा संख्या 221 दिनांक 06.06.2010 श्री प्रवीण कुमार पुत्र पन्नालाल, पट्टा संख्या 225 दिनांक 05.12.2010 श्री पोकरराम पुत्र श्री चुन्नीलाल, पट्टा संख्या 240 दिनांक 05.12.2010 श्री अणदाराम पुत्र श्री गंगाराम, पट्टा संख्या 241 दिनांक 05.12.2010 श्रीमती कमलीदेवी पत्नी श्री गेनाराम, पट्टा संख्या 247 दिनांक 05.12.2010 श्री गुलाराम पुत्र श्री घेवरराम, पट्टा संख्या 250 दिनांक 05.12.2010 श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी सुगनाराम, पट्टा संख्या 251 दिनांक 05.12.2010

श्रीमती गुड्डी पत्नी जैताराम, पट्टा संख्या 254 दिनांक 05.12.2010 श्री रेवताराम पुत्र दुवाराम, पट्टा संख्या 255 दिनांक 05.12.2010 श्री तुलसाराम पुत्र नरसिंगाराम, पट्टा संख्या 260 दिनांक 05.12.2010 श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी श्री नारायणराम, पट्टा संख्या 262 दिनांक 05.12.2010 श्री नेमाराम पुत्र गुमानराम, पट्टा संख्या 264 दिनांक 05.12.2010 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी घेवरचंद श्री लाखाराम पुत्र श्री जेठाराम, पट्टा संख्या 294 दिनांक 20.03.2010 श्री हसताराम पुत्र श्री बाबूराम, पट्टा संख्या 295 श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नी श्री पोकरराम, पट्टा संख्या 05 दिनांक 20.03.2010 श्री माणकलाल पुत्र श्री हीरालाल, पट्टा संख्या 38 दिनांक 20.03.2010 श्री रामकिशोर पुत्र श्री मांगीलाल, पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.03.2010 श्रीमती पपूदेवी पत्नी भागाराम, पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.03.2010 श्री भंवराराम पुत्र माधाराम पट्टे जारी किये है आदि रिपोर्ट पर परिवाद संख्या 12/2014 विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सता भ्र.नि.ब्यूरो में दर्ज हुआ। उक्त परिवाद की जांच पर आरोपी श्री रेंवतराम तत्कालीन सरपंच, श्री गुलाबचंद सोनी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री करणीसिंह बीका व अन्य वार्डपंच के विरूद्ध लाभार्थीगण से मिलीभगत कर ग्राम पंचायत बालेसर की भूमि के अलावा अन्य किस्म की भूमि पर नियम विरूद्ध पट्टे जारी कर राजकोष को हानि पहुंचाने के आरोप पर प्राथमिक जांच संख्या 21/2023 दिनांक 16.05.2023 पंजीबद्ध की गई। उक्त प्राथमिक जांच से निम्न तथ्य पाये गयेः- 1. श्री रेंवतराम वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता के सरपंच के पद पर पदास्थापित रहे। श्री रेंवतराम के कार्यकाल में क्रमशः श्री गुलाब चन्द सोनी, श्री करणीसिंह बीका व श्री नरपतसिंह राजपुरोहित ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थे। तथा श्री नारायणसिंह पटवारी के पद पर कार्यरत रहे। 2. श्री रेंवतराम पूर्व सरपंच बालेसर सत्ता ने वर्ष 2010 से 2015 के मध्य 152 पट्टे जारी किए। श्री रेंवतराम सरपंच के कार्यकाल में ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता आबादी भूमि में अलग-अलग पुराने घरो का विनियमितिकरण राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के अन्तर्गत घर (राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले 50 वर्षो के दौरान निर्मित घर) को प्रारूप-23 (क) में आवासीय भूमि के 152 पट्टे जारी किये थे। उक्त पुश्तैनी मकान होने से किसी भी भूखण्ड पर डीएलसी रेट से राशि नहीं ली गई। इन पट्टो के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। पट्टाधारको से मात्र 260/- रूपये लेकर नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये थे। 3. उक्त कुल 152 पट्टो में से प्रथम 20 पट्टे श्री रेंवतराम सरपंच व श्री गुलाबचन्द सोनी ग्राम सेवक के हस्ताक्षर से जारी किए गए थे तथा पट्टा 21 से पट्टा 33 तक श्री रेंवतराम सरपंच व श्री करणीसिंह बीका के हस्ताक्षर से जारी किए गए थे। ग्राम सेवक श्री गुलाब चन्द सोनी व ग्राम सेवक श्री करणीसिंह ने तत्कालीन पटवारी श्री नारायणसिंह से पट्टो के भूखण्ड का आबादी में होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। श्री नारायणसिंह तत्कालीन पटवारी ने ग्राम सेवक श्री गुलाब चन्द सोनी व श्री करणीसिंह बीका को भूखण्ड के आबादी में होने का प्रमाण पत्र दिया था परन्तु तहसीलदार बालेसर ने उक्त भूखण्डो को सरकारी भूमि बताया। इस प्रकार तत्कालीन पटवारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि को आबादी भूमि बताया। श्री रेंवतराम सरपंच व श्री नरपतसिंह राजपुरोहित ने शेष 34 से लेकर 152 पट्टों में तत्कालीन पटवारी से भूमि की किस्म से संबंधित प्रमाणपत्र नहीं लिया था। 4. श्री रेंवतराम सरपंच बालेसर सत्ता ने वर्ष 2010 से 2015 तक अपने कार्यकाल के दौरान कुल 152 भूखण्डो पर पट्टे जारी किए थे उन पट्टो में से जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 7664 दिनांक 06.10.2023 के द्वारा गठित जांच कमेटी ने 61 पट्टे में अनियमितता पाई। उक्त सरपंच श्री रेंवतराम व श्री नरपतं सिंह राजपुरोहित ने सरकारी भूमि पर पट्टे जारी किए उन में से 19 पट्टे दुकान पर आवासीय पट्टा नियम विरूद्ध जारी कर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि पहूचाई। श्री रेंवतराम सांखला व श्री नरपतं सिंह राजपुरोहित ने पट्टो की मिसलो में तत्कालीन पटवारी से भूखण्ड की किस्म आबादी भूमि में स्थित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था। तथा सरकारी भूमि पर पट्टे जारी किए। नियमानुसार ग्राम पंचायत का सरपंच केवल आबादी भूमि पर ही पट्टा जारी कर सकता है। 5. श्री रेंवतराम सरपंच द्वारा जारी किए गए पट्टो के संबंध में तहसीलदार बालेसर, श्री रविन्द्र गेहलोत ग्राम विकास अधिकारी बालेसर सत्ता व श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर द्वारा नियुक्त कमेटी द्वारा जांच की गई जो निम्नानुसार हैः- 1. तहसीलदार बालेसर द्वारा कमेटी गठित कर करवाई गई जॉचः- श्रीमान तहसीलदार ने जरिए पत्रांक 425 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत बालेसर द्वारा जारी पट्टे आबादी भूमि में स्थित है या अथवा नहीं इसकी जॉच करवाने के लिए तहसीलदार बालेसर द्वारा कमेटी बनाकर जांच करवायी गयी। श्रीमान तहसीलदार ने जरिए पत्रांक 425 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर को रिपोर्ट पेश की जिसमें यह अंकित किया कि श्री रेंवतराम पूर्व सरपंच बालेसर सत्ता द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2015 के मध्य 152 पट्टे जारी किए जिसमें से 64 पट्टे आबादी भूमि पर जारी किये गये तथा 55 पट्टे सरकारी भूमि(गैर मूमकीन भाखर, गौचर) पर जारी किए तथा शेष 33 पट्टे आबादी भूमि व अन्य सरकारी भूमि की सरहद पर स्थित होने से एवं समस्त क्षेत्र भवन निर्मित क्षेत्र होने से एकदम सटीक नाप किया जाना संभव नहीं होने से सटीक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। 2. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत रेकॉर्ड के आधार पर की गई जॉचः-श्री रविन्द्र गहलोत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता के अनुसार श्री रेंवतराम तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता के कार्यकाल वर्ष 2010 से 2015 तक ही अवधि के पट्टे जारी किये गयें। श्री रविन्द्र गहलोत ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया किः- 1. तहसीलदार बालेसर के पत्र क्रमांक 425 दिनांक 16.04.2021 के संलग्न कमेटी द्वारा गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण एवं पैमाईश कर विस्तृत रिपोर्ट की सूची के

क्र0स0 01 से 20 तक सरपंच श्री रेंवतराम सांखला तथा ग्राम सेवक श्री गुलाबचंद सोनी के द्वारा कुल 20 पट्टे जारी किये गये जिसमें नियमानुसार तत्कालीन पटवारी से उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित होने का प्रमाण पत्र सभी मिसलों में उपलब्ध है। 2. मौका निरीक्षण एवं पैमाईश कर विस्तृत रिपोर्ट की सूची के क्र0स0 21 से 33 तक सरपंच श्री रेंवतराम सांखला तथा ग्राम सेवक श्री करणीसिंह बीका के द्वारा कुल 13 पट्टे जारी किये गये जिसमें नियमानुसार भूखण्डधारी से मकान पुश्तैनी व आबादी भूमि में स्थित होने के संबंध मे 10 रूपये का स्टाम्प पेपर पर नोटेरी शुदा शपथ पत्र, भाई बन्ट का 100 रूपये का स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र तथा तत्कालीन पटवारी से जारी उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित होने का प्रमाण पत्र सभी मिसलो पर उपलब्ध है। 3. तहसीलदार बालेसर द्वारा गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण व पैमाईश कर विस्तृत रिपोर्ट की सूची के क्र0स0 34 से 152 तक पट्टे जारी किये गये जिसमें सरपंच श्री रेवन्तराम सांखला तथा ग्राम सेवक नरपतसिंह के द्वारा जिनमें मिसलों में तत्कालीन पटवारी से भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित होने का प्रमाण पत्र नही है। 4. श्री नरपतं सिंह तत्कालीन ग्रामसेवक ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता की मृत्यु ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में कार्यरत रहने के दौरान हो चुकी हैं। 3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर द्वारा कमेटी गठित कर करवाई गई जाँचः- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर के कार्यालय के आदेश क्रमांक 7664 दिनांक 06.10.2023 के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा पत्रावली में तहसील बालेसर से प्राप्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट, ग्राम विकास अधिकारी बालेसर सत्ता से प्राप्त रिपोर्ट एवं उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड के आधार पर दिनांक 08.11.2023 को पंचायत समिति बालेसर जाकर जॉच की गयी।उक्त कमेटी द्वारा 152 पट्टो के भूखण्डो का मौका निरीक्षण व पैमाईश की जिसमें रेवंतराम सरपंच द्वारा जारी 152 पट्टो में से 61 पट्टो में अनियमितता पायी गयी। 1. उक्त कमेटी ने तहसीलदार के पत्रांक 425 दिनांक 16.04.2021 के संलग्न मौका निरीक्षण व पैमाईश कर विस्तृत की सर्वे सूची के क्र0स0 8,12,13,15,20 में सरकारी भूमि होना बताया गया है जबकि ग्राम विकास अधिकारी के लिखित जवाब मय रिकॉर्ड अनुसार श्री गुलाब चन्द, तत्कालीन ग्राम सेवक द्वारा जारी पट्टों की मिसलों में पटवारी द्वारा आबादी भूमि का प्रमाणपत्र पाया गया है। 2. तहसीलदार के पत्रांक 425 दिनांक 16.04.2021 के संलग्न मौका निरीक्षण व पैमाईश कर विस्तृत की सर्वे सूची के क्र0स0 8,12,13,15,20 में सरकारी भूमि होना बताया गया है। जबकि ग्राम विकास अधिकारी के लिखित जवाब मय रिकॉर्ड अनुसार ग्राम सेवक श्री करणीसिंह बीका के द्वारा जारी पट्टों की मिसलों में भूखण्डधारी से मकान पुश्तैनी व आबादी भूमि में स्थित होने के संबंध मे 10 रूपये का स्टाम्प पेपर पर नोटेरी शुदा शपथ पत्र, भाई बन्ट का 100 रूपये का स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र तथा तत्कालीन पटवारी से जारी उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित होने का आबादी भूमि का प्रमाण पत्र पाया गया। पटवारी द्वारा जारी भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित होने का प्रमाण पत्र एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट के द्वारा उक्त भूमि को सरकारी भूमि बताया गया है। 3. तहसीलदार बालेसर के पत्रांक 425 दिनांक 16.04.2021 के संलग्न मौका निरीक्षण व पैमाईश कर विस्तृत रिपोर्ट की सर्वे सूची के क्र0सं0 43, 44, 45, 47, 48, 63, 66, 67, 75, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 92, 94, 97, 100, 105, 108, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147,148, 150, 151,152 में सरकारी भूमि/दुकान होना बताया गया है ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता के लिखित जवाब अनुसार श्री नरपतसिंह तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता की मृत्यु ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में कार्यरत दौरान हो चुकी है। 4. सर्वे रिपोर्ट क्र0स0 1, 2, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 33, 35, 38, 39, 46, 53, 56, 60, 62, 65, 68, 69,77, 82, 85, 90, 93, 95, 98,102,103,104,109,127,144 पर पट्टे आबादी व अन्य सरकारी भूमियां (गैर मुमकीन भाकर, औरण, गौचर, बाला) की सरहद पर स्थित होने से एवं समस्त क्षेत्र भवन निर्मित होने से एकदम सटीक नाप किया जाना संभव नही होने से सटीक स्थिति नहीं ज्ञात की जा सकती। क्र0स0 1, 2, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 33 के पट्टों की मिसलों मे तत्कालीन पटवारी द्वारा आबादी भूमि का प्रमाण पत्र संलग्न होना पाया गया। ग्राम सेवक की रिपोर्ट के अनुसार अन्य में आबादी भूमि का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। उक्त कमेटी ने तहसीलदार बालेसर के द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं ग्राम विकास अधिकारी के लिखित जवाब मय दस्तावेज के अनुसार प्रकरण में दोषी तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध पंचायती राज अधि0 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया तथा रिपोर्ट के अनुसार 61 पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये गये है जिनको विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर को माननीय न्यायालय अति0 कलक्टर जोधपुर में निगरानी दायर कर निरस्त कराने हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित किया है। श्री रेंवतराम सरपंच बालेसर सत्ता ने वर्ष 2010 से 2015 तक अपने कार्यकाल के दौरान कुल 152 भूखण्डो पर पट्टे जारी किए थे उन पट्टो में से जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 7664 दिनांक 06.10.2023 के द्वारा गठित जांच कमेटी ने 61 पट्टे में अनियमितता पाई। श्री रेंवतराम सांखला व श्री नरपतं सिंह राजपुरोहित ने पट्टो की मिसलो में तत्कालीन पटवारी से भूखण्ड की किस्म आबादी भूमि में स्थित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था। इस प्रकार श्री रेंवतराम सरपंच ने ग्राम सेवक, वार्ड पंचों एवं पट्टाधारको से मिलीसरपंच कर सरकारी भूमि पर नियम विरूद्ध पट्टे जारी कर अपने पद का दुरूपयोग किया है। श्री रेंवतराम व श्री नरपत सिंह राजपुरोहित ने सरकारी भूमि पर पट्टे जारी किए उन में से 19 पट्टे दुकान पर आवासीय पट्टा नियम विरूद्ध जारी कर ग्राम पंचायत का राजस्व की हानि पहूचाई। श्री नरपतसिंह राजपुरोहित तत्कालीन ग्रामसेवक ग्राम

पंचायत बालेसर सत्ता की मृत्यु ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में कार्यरत रहने के दौरान हो चुकी है। वार्ड पंच श्री चैनसिंह, वार्ड पंच श्री दिलीपसिंह, वार्डपंच श्री अनोपसिंह ने सरपंच श्री रेवंतराम व ग्राम सेवक श्री नरपतसिंह ने 19 दुकानों का आवासीय पट्टा देकर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि पहूचाई। श्री नारायणसिंह तत्कालीन पटवारी द्वारा 152 पट्टों में से 9 भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित होने का प्रमाण-पत्र दिया गया था, जबकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार भूमि का सरकारी थी इस प्रकार नारायणसिंह पटवारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर आबादी भूमि होने का प्रमाण पत्र दिया। श्री रेंवतराम सरपंच बालेसर सत्ता व श्री नरपतसिंह राजपुरोहित द्वारा 19 व्यावसयिक पट्टों जारी किए थे उक्त 19 पट्टो का कुल क्षेत्रफल 68,695 होता है जिसका राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 के नियम 156(3) में किसी बाजार या व्यावसायिक क्षेत्र में ऐसी बाजार कीमत निवासीय क्षैत्रो के लिए नियत कीमत की दुगुनी से कम नहीं होगी, के प्रावधान अनुसार कुल राशि उक्त जारी पट्टो का क्षैत्रफल -68,695 गुणा 276 रूपये 1,89,59,820 रूपये (अक्षरे एक करोड़ उननब्बे लाख उनसाठ हजार आठ सौ बीस रूपये) में से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टो की जमा की गई राशि 260 गुणा 19 4,960 रूपये उक्त राशि को घटाने के बाद कुल राजस्व हानि 1,89,54,880 रूपये अक्षरे(एक करोड़ उननब्बे लाख चौवन हजार आठ सौ अस्सी रूपये)का सरकार को राजस्व हानि हुई है। राजस्व हानि की गणना तहसीलदार बालेसर से प्राप्त डीएलसी दर ग्राम की आबादी क्षैत्र में अन्य मुख्य सड़क पर 138 रूपये प्रति वर्गफिट की दर के दुगुने से एवं तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तुत सर्वे सूचि में अंकित क्षैत्रफल के आधार पर गणना की गई है। अनुषंशा- श्री रेंवतराम सांखला तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता के द्वारा 152 पट्टे जारी किये गये है। श्री रेंवतराम सांखला तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता ने उक्त पट्टो में से 61 पट्टे नियम विरूद्ध जारी कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1)(ख) का उल्लंघन किया गया है। श्री रेंवतराम सरपंच ने ग्राम सेवक श्री नरपतसिंह राजपुरोहित व वार्ड पंच श्री चैनसिंह, वार्ड पंच श्री दिलीपसिंह, वार्डपंच श्री अनोपसिंह से मिलीभगत कर उक्त 61 पट्टे में से 19 पट्टे पर दुकान का आवासीय पट्टा देकर ग्राम पंचायत को 1,89,54,880 रूपये अक्षरे (एक करोड़ उननब्बे लाख चौवन हजार आठ सौ अस्सी रूपये) के राजस्व राजस्व की हानि पहूचाई। रेंवतराम सरपंच बालेसर सत्ता ने ग्राम सेवक श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, पटवारी श्री नारायणसिंह व पट्टाधारक लाभार्थीगण से मिल भगत कर अवैध 61 पट्टो में से 42 पट्टे आबादी भूमि पर जारी नहीं कर नियम विरूद्ध सरकारी भूमि पर जारी कर अपने पद का दुरूपयोग किया है। पटवारी श्री नारायणसिंह द्वारा कुल 9 पट्टों की मिसलों मे तत्कालीन पटवारी द्वारा सरकारी भूमि पर आबादी भूमि का प्रमाण पत्र संलग्न करना पाया गया। ग्राम सेवक श्री नरपतसिंह राजपुरोहित की मृत्यु हो चुकी है। आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(क), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 193,120बी भादसं में दण्डनीय अपराध कारित किया जाना जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री रेंवतराम की दिनांक 31.08.2024 को मृत्यु हो गई है एवं श्री नरपतसिंह की दिनांक 18.09.2021 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त दोनो का मृत्यु प्रमाण-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। श्री नारायण सिंह राठौड़ तत्कालीन पटवारी बालेसर का सेवा विवरण शामिल पत्रावली किया गया। अतः आरोपीगण 1. श्री रेंवतराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति माली उम्र 63 वर्ष निवासी बालेसर सत्ता तहसील बालेसर जिला जोधपुर (फौत) तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता, 2. श्री अनोपसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह, जाति राजपूत, उम्र 66 वर्ष, पेशा खेती, निवासी बालेसर पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर तत्कालीन वार्ड पंच ग्राम पंचायत बालेसर जिला जोधपुर मो0न0 [redacted], 3.श्री चैनसिंह पुत्र श्री विसनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 वर्ष, पेशा खेती, निवासी बालेसर पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर तत्कालीन वार्ड पंच ग्राम पंचायत बालेसर जिला जोधपुर मो0न0 [redacted]4. श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह, जाति राजपूत, उम्र 41 वर्ष, पेशा खेती, निवासी बालेसर पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर तत्कालीन वार्ड पंच ग्राम पंचायत बालेसर जिला जोधपुर मो0न0 [redacted], 5. श्री नारायण सिंह राठौड़ पुत्र श्री जेठूसिंह राठौड़ जाति राजपूत उम्र 68 साल ग्राम भाखरी पोस्ट ढेलाणा वाया मारवाड लोहावट तहसील औसिंया हाल प्लाट न0 125 जेडएसबी बीजेएस कॉलोनी जोधपुर मो0न0 [redacted] तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल बालेसर जिला जोधपुर, 6. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री माणकसिंह जाति राजपुरोहित उम्र-56 वर्ष निवासी बिचलावास गॉव थोब तहसील औसिया जिला जोधपुर (फौत दिनांक 18.09.2021) तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता, एवं लाभार्थीगणों के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1)(सी)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 193, 120बी आईपीसी में दण्डनीय होने से इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (मनीष वैष्णव) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर।.......... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988एवं 193, 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री रेंवतराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति माली उम्र 63 वर्ष निवासी बालेसर सत्ता तहसील बालेसर जिला जोधपुर (फौत) तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता, 2. श्री अनोपसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह, जाति राजपूत, उम्र 66 वर्ष, पेशा खेती, निवासी बालेसर पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर तत्कालीन वार्ड पंच ग्राम पंचायत बालेसर जिला जोधपुर, 3.श्री चैनसिंह पुत्र श्री विसनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 वर्ष, पेशा खेती, निवासी बालेसर पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर तत्कालीन वार्ड

पंच ग्राम पंचायत बालेसर जिला जोधपुर, 4. श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह, जाति राजपूत, उम्र 41 वर्ष, पेशा खेती, निवासी बालेसर पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर तत्कालीन वार्ड पंच ग्राम पंचायत बालेसर जिला जोधपुर, 5. श्री नारायण सिंह राठौड़ पुत्र श्री जेठूसिंह राठौड़ जाति राजपूत उम्र 68 साल ग्राम भाखरी पोस्ट ढेलाणा वाया मारवाड लोहावट तहसील औसिंया हाल प्लाट न0 125 जेडएसबी बीजेएस कॉलोनी जोधपुर, तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल बालेसर जिला जोधपुर, 6. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री माणकसिंह जाति राजपुरोहित उम्र-56 वर्ष निवासी बिचलावास गॉव थोब तहसील औंसिया जिला जोधपुर (फौत दिनांक 18.09.2021) तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता, एवं लाभार्थीगणों के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री किशन सिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर शहर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 968 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1322-28 दिनांक 30-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2- आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जोधपुर। 4-जिला कलक्टर, जोधपुर।5-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर । 6-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 7- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर (प्राथमिक जांच संख्या 21/2023) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KISHAN SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक **or (या)**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/10/2024 13:14:23

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1962				
2	Male	1958				
3	Male	1973				
4	Male	1983				
5	Male	1956				
6	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)